

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

दिनांक 12.08.2016 को सचिव उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही -

विभाग के अन्तर्गत सभी निदेशालयों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित विषयों पर समीक्षा की गयी तदोपरान्त नीचे अंकित विषयों पर समीक्षा की गयी एवं निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

उद्योग निदेशालय

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के समीक्षा के दौरान निदेशक द्वारा बतलाया गया कि जुलाई, 2016 से नये गाईड लाईन के अनुसार नये आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि नये गाईड लाईन के अनुसार सर्व प्रथम SC/ST का डेढ़ गुणा लक्ष्य पूरा करना है। जिससे पाँच जिलों में सामान्य वर्ग हेतु कोई लक्ष्य नहीं रह जायेगा। सचिव महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि विशेष सचिव के साथ विमर्श कर आगे की कार्रवाई करें। सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि राज्य स्तर पर PMEGP के तरह रोजगार योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाय।

On line उद्यमी आधार के बिन्दु पर समीक्षा की गई जिसपर निदेशक द्वारा बतलाया गया कि सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया है कि वे ~~इसकी~~ सत्यापन करें।

उद्यमी आधार को वाणिज्यकर विभाग द्वारा मान्यता नहीं दिये जाने के बिन्दु पर सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विभाग को अर्द्धसरकारी पत्र मेरे हस्ताक्षर से भेजा जाय, ताकि EM Part_1 & II स्थान पर उद्यमी आधार नम्बर का मान्यता मिल सके।

प्राधिकार में On line भूमि आवेदन के बिन्दु पर निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह यह सुनिश्चित किया जाय कि उपलब्ध भूमि यदि e-auction हेतु उपलब्ध है तो वह निश्चित रूप से हर माह आवंटन की प्रक्रिया चालू हो।

6,

औद्योगिक नीति-2001 एवं 2012 अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को अनुदान नितरण हेतु सॉफ्टवेयर डेवलप कराने का निदेश दिया गया ताकि यह सुगम तरीका से सभी उद्यमियों को लाभ मिल सके।

निदेशक द्वारा बतलाया गया कि 24 जिला उद्योग केन्द्र गठन का प्रस्ताव निदेशालय द्वारा विभाग को प्रस्ताव दिया जा चुका है। सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी इस कार्य को पूरा करें।

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

बैठक में उपस्थित हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प द्वारा केन्द्रवार प्रगति का आकलन किया गया। क्षेत्रों में तसर रेशम के प्रथम फसल का कीटपालन संतोषप्रद रूप से किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को योजनाओं की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदनों को Online भेजने की सम्भावना पर भी विचार करने का निदेश दिया गया। निदेशक महोदय ने नियमित अन्तराल पर सभी केन्द्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Review) किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। केन्द्रों में कर्मियों की अत्याधिक कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की गई।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र में 162 (एक सौ बासठ) प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति (PWCS) कार्यरत हैं। इनके Revival की प्रक्रिया जारी रखने का आश्वासन दिया गया। इरबा स्थित बुनकारों द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में गम्भीरता से विचार करने का निदेश दिया गया। सभी समीक्षात्मक बैठकों के लिए तैयार किये जाने वाले Agenda को स्पष्ट एवं संक्षिप्त किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

६

खान/भूतत्व निदेशालय

- Power Point के माध्यम से विगत तीन वर्षों का जिला वार लक्ष्य एवं उपलब्ध ग्रोथ, Major Minerals से प्राप्त 3 वर्षों का राजस्व ग्रोथ, Minor Mineral से प्राप्त 3 वर्षों का राजस्व ग्रोथ, लीज संबंधी मुख्य मुद्दे/बिन्दु, विधि संबंधी मामले, लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- दिनांक-29.06.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर भी गहन समीक्षा की गयी जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत है :-

(A)

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
1	<p><u>प्रारूप कंडिका</u>— वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिये भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु लंबित 17 प्रारूप कंडिकाओं की विवरणी प्रस्तुत करते हुए संबंधित जिला के जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को ये निदेश दिया गया कि उक्त प्रारूप कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर अचूक रूप से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिवेदन संबंधित उप निदेशक, खान के माध्यम से (Soft and Hard copy) में विभाग को उपलब्ध करायेंगे। (कार्रवाई -सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी, उप निदेशक, खान)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 2014-15 का लातेहार जिला से प्रारूप कण्डिका का अनुपालन प्राप्त। • वर्ष 2015-16 का पाकुड़ एवं चाईबासा जिला से प्रारूप कण्डिका का अनुपालन प्राप्त। • दुमका जिला से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों से सूचना अप्राप्त है। 	<p>जिन जिलों से प्रारूप कंडिका से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अचूक रूप से वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश विशेष सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा दिया गया।</p> <p>बैठक में उपस्थित राँची एवं पलामू के जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर सहमति दी गई। (कार्रवाई— सभी उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)</p>
2	<p>वृहत खनिज के खनन पट्टों का मानचित्र(MSS)</p>	<p>राँची जिला के सात खनन पट्टों का Cadastral Plan उपलब्ध कराया गया है शेष किसी जिले से Cadastral Plan उपलब्ध नहीं कराया गया है। शेष जिलों से खनन पट्टों का मानचित्र (Cadastral</p>	<p>राँची जिला को छोड़कर अन्य सभी जिलों के जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को वृहत खनिज (कोयला को छोड़कर) खनन पट्टों का Cadastral Plan हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक-31.08.2016</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
		Plan) उपलब्ध नहीं कराया गया है।	तक उपलब्ध कराने का निदेश विशेष सचिव के द्वारा दिया गया। (कार्रवाई— सभी जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी, उप निदेशक, खान)
3	NMET :- NMET में वृहत खनिज के पट्टेधारियों के पास दिनांक 12.01.2015 से अद्यतन माहवार बकाया राशि की गणना एवं उसके विरुद्ध वसूली सुनिश्चित कराते हुए उसकी विवरणी अपर निदेशक, खान, राँची एवं निदेशक, खान को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।	NMET में अब तक कुल 39.42 करोड़ रुपये की राशि का अंशदान किया गया है।	NMET में जिलावार, माहवार वृहत खनिजवार एवं खनन पट्टावार देय राशि एवं प्राप्त राशि की विवरणी तैयार कर खान निदेशालय को दिनांक-25.08.2016 तक उपलब्ध कराने का निदेश सचिव द्वारा दिया गया। ताकि NMET में प्राप्त होने वाली अंशदान की राशि का अनुश्रवण किया जा सके। NMET का अंशदान होने के उपरांत ही स्वामिस्व की राशि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। (कार्रवाई— सभी जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी, उप निदेशक, खान)
4	DEIAA/DEAC का गठन	DEIAA/DEAC का गठन सभी जिलों में किया जा चुका है	सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि DEIAA/DEAC से संबंधित बैठक नियमित रूप से की जाए एवं बैठक की कार्यवाही और तत्संबंधी लंबित मामलों को JIMMS के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। (कार्रवाई— सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी, उप निदेशक, खान/प्रोजेक्ट मैनेजर JIMMS)
5	न्यायालय संबंधी मामले— विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों के	JIMMS के Portal पर Case Management System	Case Management System में सूचनाओं को अपलोड करने के

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
	<p>संबंध में सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय से संबंधित लंबित मुकदमों की पूर्ण विवरणी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सचिव महोदय द्वारा संयुक्त सचिव, (श्री संजय सिन्हा) को यह निदेश दिया गया कि वे लंबित वादों की विस्तृत विवरणी तैयार कर उन्हें उपलब्ध करायेंगे साथ ही एक माह के अंदर JIMMS के Portal पर भी न्यायालयों में दायर वाद की सूची, प्रतिशपथ पत्र की अद्यतन स्थिति आदि भी अंकित की जाय।</p> <p>संयुक्त सचिव (श्री संजय सिन्हा) को यह भी निदेशित किया गया कि वे High Value Cases की विवरणी सचिव महोदय को उपलब्ध करायेंगे। (कार्रवाई:- सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी/परियोजना पदाधिकारी, JIMMS/ संयुक्त सचिव)</p>	<p>तैयार कर दी गई है। संबंधित सूचनाओं को upload करने के लिए श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, लिपिक को प्रशिक्षित किया गया है।</p>	<p>लिये नामित अन्य कर्मियों श्री नवल प्रसाद, अर्थ अन्वेषक और श्री अमोल बलवीर मिंज, सहायक को प्रशिक्षित करने का निदेश दिया गया साथ ही इस कार्य के अनुश्रवण करने के लिये श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, खान के विशेष कार्य पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी हेतु नामित किया गया।</p> <p>(कार्रवाई:- श्रीमति कुमुद सहाय, उप सचिव/श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी)।</p> <p>NGT में दिनांक 23.08.2016 को सुनवाई होनी है। इसके लिए सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा को एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।</p> <p>(अनुपालन सहायक खनन पदाधिकारी)</p> <p>वैसे सभी मामले जिनमें प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया है उनसे संबंधित तथ्यात्मक विवरणी/कंडिकावार टीका टिप्पणी तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।</p> <p>(कार्रवाई:- सभी जिला /सहायक खनन पदाधिकारी)।</p> <p>श्री विष्णु चन्द्र चौधरी से संबंधित रिट याचिका में अनुपूरक तथ्य दायर किया जाना है। जिला खनन पदाधिकारी, जमशेदपुर को उक्त रिट याचिका का अनुपूरक तथ्य अविलम्ब दायर करने का निदेश दिया गया।</p> <p>(कार्रवाई:- जिला खनन पदाधिकारी, जमशेदपुर)</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
6	<p>Washed Coal से संबंधित मॉग पत्र— Washed Coal के संबंध में सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्राधीन कोयला कंपनी को Washed Coal से संबंधित मॉग पत्र एक सप्ताह के अंदर निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। सचिव महोदय द्वारा सभी उप निदेशक, खान को यह निदेश दिया गया कि वे अपने अंचल अन्तर्गत जिला खनन कार्यालयों की समीक्षा कर एक प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे कि Washed Coal से संबंधित सभी मामलों में मॉग पत्र निर्गत कर दिया गया है और अब कोई भी मामला लंबित नहीं है।</p> <p>Washed Coal के जिनवादों में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है उसमें उच्चतम न्यायालय से प्राप्त न्यायादेश के आलोक में Stay Vacating Petition विद्वान महाधिवक्ता से संपर्क कर संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे एवं अनुपालन विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अन्य खनिज के मामले में भी संबंधित सहायक/जिला खनन पदाधिकारी निर्गत किए जाने वाले एवं पूर्व में निर्गत किए गए मॉग पत्र को भी सत्यापित करेंगे एवं इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी देंगे कि सभी दृष्टिकोण से निर्गत मॉग पत्र नियमानुकूल है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • किसी भी उप निदेशक, खान से Washed Coal के मांग पत्र पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। • चतरा जिला के 38.43 करोड़ के मांग पत्र पर I.A. दाखील कर सर्वश्री टाटा स्टील लीड के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निणर्य हेतु अपील की गई है साथ ही संबंधित इस प्रकार के मामलों को शीघ्र अतिशीघ्र तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। 	<p>सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को Washed Coal के मांग पत्र पर प्रतिवेदन दिनांक—25.08.2016 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।</p> <p>(कार्रवाई:— सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)।</p> <p>इस कम में विशेष सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व द्वारा उप निदेशक, खान, हजारीबाग को यह निदेश दिया गया कि Washed Coal से संबंधित सभी मामलों की सूची एवं सन्निहित राशि की विवरणी उपलब्ध करायें एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराये ताकि सभी मामलों की सुनवाई किये जाने का अनुरोध महाधिवक्ता, झारखण्ड से किया जा सके।</p> <p>(कार्रवाई:— उप निदेशक, खान, हजारीबाग)।</p>
7	<p>नीलाम पत्र वाद—</p> <p>लंबित नीलाम पत्र वादों के संबंध में सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, खान को यह निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक माह में कम से कम दो बार लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे और मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। सभी उप निदेशक, खान को यह भी निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नीलाम पत्र वाद के संबंध में सुस्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (कार्रवाई:— सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, खान)</p>	प्रतिवेदन अप्राप्त।	<ul style="list-style-type: none"> • लंबित नीलाम पत्र वादों के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार लंबित नीलाम पत्र वादों से संबंधित बैठक करने का निदेश दिया गया एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन खान निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। <p>(कार्रवाई:— सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, खान)</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
			<ul style="list-style-type: none"> जिन उप निदेशक, खान को निलाम पत्र वादों के सुनवाई हेतु शक्ति प्राप्त नहीं है वैसे सभी उप निदेशक, खान संबंधित आयुक्त/ उपायुक्त से संपर्क कर शक्ति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
8	<p>कोयला ब्लॉक – आवंटित कोयला ब्लॉकों के संबंध में सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने जिलों से संबंधित कोयला ब्लॉकों में खनन पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु पूर्ण प्रस्ताव सभी कागजातों एवं उपायुक्त की अनुशंसा के साथ विभाग को अग्रसारित करेंगे। (कार्रवाई:-सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)</p>	<ul style="list-style-type: none"> पलामू जिलान्तर्गत मेराल कोल ब्लॉक का पूर्ण प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है। पाकुड़ जिलान्तर्गत पछवाड़ साउथ कोल ब्लॉक का मॉडल लीज डीड अप्राप्त है। बोकारो जिलान्तर्गत सितानाला कोल ब्लॉक का लगभग 30.00 एकड़ जमीन का जो क्षतिपूर्ति वनरोपन के लिए प्रतियुक्त किया गया है पर प्रतिवेदन अप्राप्त है। 	<p>I. सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि कोल ब्लॉक से संबंधित खनन पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के स्वीकृति हेतु पूर्ण प्रस्ताव सभी कागजात एवं उपायुक्त के अनुशंसा के साथ दिनांक-25.08.2016 तक खान निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। (कार्रवाई:-सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)।</p> <p>II. उप निदेशक, खान, दुमका को निदेश दिया गया है कि model deed का vetting जिला स्तर पर कर उपायुक्त के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर खान निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। (कार्रवाई:- उप निदेशक, खान, दुमका)।</p> <p>III. जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को Sitanala Coal Block के क्षेत्र में 30 एकड़ (लगभग) क्षतिपूर्ति वन रोपन के लिए निर्गत NOC पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कृत कार्रवाई से एक सप्ताह के अन्दर खान निदेशालय को अवगत कराने का निदेशक दिया गया।</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
			<p>(कार्रवाई:- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो)।</p> <p>IV. उप निदेशक, खान, दुमका को सहरपुर जमरूपानी शिकारी पाड़ा कोल ब्लॉक में 15 Sq. Km क्षेत्र पर M/s UPRVUNL (Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited) को आवंटित Coal Block को पुनः प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा दिया गया। पूर्व में, जो प्रस्ताव दिये गये थे वह मुख्यालयस्तर पर समीक्षा में सही नहीं पाया गया है। (कार्रवाई:- उप निदेशक, खान, दुमका)</p> <p>V. Prior-allottee के मामले में Defaulters पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।</p> <p>VI. खान आयुक्त के द्वारा इस मामले को प्रसंग में लाते हुए बताया गया कि भारत सरकार का मानना है कि पूर्व में आवंटियों के द्वारा CA के लिए जो भूमि कय किया गया था या सरकार से प्राप्त किया गया था जिसे वर्तमान आवंटी को भारत सरकार के द्वारा vesting/ आवंटित आदेश में स्थानान्तरित किया गया है की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। यह एक प्रक्रिया है जो प्रीध की जानी चाहिए थी। चर्चा के क्रम में पाया गया की पूर्व में आवंटी Coal Block में आवंटियों द्वारा अधिकृत किये गये अधिकांश भूमि का कय कागजी है जो वर्तमान में जिला अभिलेखों से सम्पुष्ट नहीं हो पा रहा है।</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
			<p>इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि</p> <p>a) Coal Block वार/जिलावार पूर्व आवंटी के द्वारा अधिकृत क्रय/सरकार से प्राप्त भूमि का एक पूर्ण ब्योरा तैयार किया जाय।</p> <p>b) गलत तरीके से भूमि क्रय करने वाले आवंटियों एवं इस कृत में सम्मिलित सरकारी कर्मियों के ऊपर कानूनी/वैधानिक कार्रवाई की जाय।</p> <p>c) सम्पूर्ण मामले की समीक्षा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से पूरा किया जाय।</p>
9	<p>माईनिंग प्लान— श्री बी०बी० सिंह, अपर निदेशक, खान, राँची को सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि वे वृहत खनिज से लघु खनिज के रूप में घोषित किए गए खनिजों के माईनिंग प्लान स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक प्रत्येक गिनवार को आहूत करेंगे और मामलो का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>माईनिंग प्लान के अनुमोदन के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक, खान से यथा आवश्यक परामर्श प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>सचिव महोदय द्वारा खान आयुक्त को माईनिंग प्लान से संबंधित मामलों के अनुश्रवण का निदेश दिया गया। (कार्रवाई:—खान आयुक्त/अपर निदेशक, खान, राँची।)</p>	<p>माईनिंग प्लान से संबंधित कुल 12 मामले हैं।</p> <p>दिनांक 04.07.2016 का सभी मामलों की समीक्षा की गई जिसमें 11 मामलों के RQP उपस्थित हुए। खनन पट्टा के तकनीकी जाँच के कम में त्रुटियाँ पाई गई जिसके निराकरण हेतु संबंधित RQP को सूचना दी गई है।</p> <p>RQP से त्रुटियों से निराकरण का प्रतिवेदन अप्राप्त है।</p>	<p>संबंधित RQP को स्मारित कर तकनीकी जाँच के कम में पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित प्रतिवेदन दिनांक— 31.08.2016 तक प्राप्त करने का निदेश दिया गया।</p>
10	<p>खनन पट्टों का DGPS सर्वे— सचिव महोदय द्वारा सभी</p>	<p>लातेहार जिला से दो बॉक्सआईट खनन पट्टों का</p>	<p>वर्ष 2010 में IBM के Circular संख्या 2/2010 के द्वारा राज्य</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
	<p>जिला/ सहायक खनन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप सभी वृहत खनिज के खनन पट्टा क्षेत्रों का DGPS सर्वे कराना सुनिश्चित करेंगे और इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के समीक्षा बैठक में उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>(कार्रवाई:- सभी जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी)</p>	<p>Geo referred Cadastral Plan उपलब्ध कराया गया है शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है।</p>	<p>के सभी वृहत खनिज के खनन पट्टों का DGPS सर्वे हेतु आदेश निर्गत है। विभाग द्वारा DGPS कार्य निष्पादन हेतु agencies का चयन कर अधिसूचित किया जा चुका है फिर भी राज्य के लगभग 140 खनन पट्टों को DGPS प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा अप्राप्त है। सरकार के द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी जिला/ सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर DGPS सर्वे करा कर प्रतिवेदन के साथ उपस्थापित करें।</p> <p>(कार्रवाई:- सभी जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी/ सभी उप निदेशक, खान)</p> <p>श्री शंकर कुमार सिन्हा, उप निदेशक, खान, हजारीबाग के द्वारा DGPS के प्रतिवेदन को Vetting के मामलों को रखा गया, जिसपर चर्चा के क्रम में बताया गया कि झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम वर्ष 20 के 20वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि ISM के द्वारा इसकी Vetting की जाएगी। इसका प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व द्वारा दी जाएगी। बैठक में चर्चा के दौरान यह भी सुझाव आया कि Survey of India से भी इस कार्य के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।</p>
11	<p>खनिज अन्वेषण की योजना-</p> <p>सचिव, महोदय द्वारा निदेशक, भूतत्व को निदेश दिया गया कि संपूर्ण राज्य में वृहत खनिजों (कोयला को छोड़कर) के अन्वेषण हेतु एक कार्य योजना तैयार एक माह के अंदर प्रस्तुत करेंगे एवं उक्त कार्य योजना के आधार पर भी भविष्य में भूतात्विक अन्वेषण कार्य संपादित कर नीलामी हेतु ब्लॉकों को तैयार किया जाएगा।</p>	<p>बॉक्साईट खनिज ब्लॉक निर्माण हेतु उप निदेशक, भूतत्व, राँची को पत्रांक-1025, दिनांक-18.07.2016 एवं लौह अयस्क ब्लॉक निर्माण हेतु उप निदेशक, भूतत्व, सिंहभूम अंचल जमशेदपुर को पत्रांक-1027, दिनांक-18.07.2016 प्रेषित किया गया है।</p>	<p>उप निदेशक, भूतत्व राँची के द्वारा बैठक में बताया गया कि बॉक्साईट खनिज के ब्लॉक को चिन्हित करने के लिये मांगी गयी विभिन्न सूचनाएँ संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि बैठक में उपस्थित संबंधित जिला खनन पदाधिकारी एवं उप</p>

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
	(कार्रवाई:- निदेशक, भूतत्व)		निदेशक, खान के द्वारा यह सूचना दी गयी कि वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध करा दी गयी है। उप निदेशक, भूतत्व, राँची एवं उप निदेशक, खान हजारीबाग को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से सीधे वार्ता करते हुए वांछित सूचनाओं को शीघ्र प्राप्त किया जाए। (कार्रवाई:- उप निदेशक, भूतत्व, राँची एवं उप निदेशक, खान, हजारीबाग)
12	वेधन हेतु एजेंसी का चयन- खनिज अन्वेषण के संबंध निदेशक, भूतत्व को यह निदेश दिया गया कि वे वेधन कार्य हेतु और एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की कार्रवाई करेंगे। निदेशक, भूतत्व को यह भी निदेश दिया गया कि वे विभिन्न खनिजों के संभावित ब्लॉकों का सर्वेक्षण कराकर क्षेत्र का निर्धारण करेंगे ताकि NMET से प्राप्त राशि का अधिकाधिक उपयोग झारखण्ड राज्य के खनिज अन्वेषण में किया जा सके। (कार्रवाई:- निदेशक, भूतत्व)	<ul style="list-style-type: none"> • इच्छा की अभिव्यक्ति के पुर्नप्रकाशन के उपरान्त तीन अन्य एजेंसी के द्वारा निविदा जमा किया गया है। सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। • गुमला जिला के लिगिरपाट बॉक्साईट क्षेत्र को NMET के तहत अन्वेषण कार्य के लिए चयन कर प्रस्ताव MECL को दिया गया है। 	वेधन एजेंसीयों का चयन प्रक्रियाधीन है।
13	Gemology Institute -वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत राज्य में एक Gemology Institute को स्थापित करने की योजना है। सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी संस्थानों से संपर्क कर इस संस्थान को संचालित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर श्री कुमार अमिताभ, भूतत्ववेत्ता, निदेशक, भूतत्व के माध्यम से विभाग में समर्पित करेंगे।	श्री कुमार अमिताभ, भूतत्ववेत्ता के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे पत्रांक-1108, दिनांक-03.08.2016 के द्वारा सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग को प्रेषित किया गया है।	

क्रम सं०	विषय	अनुपालन की स्थिति	निदेश
14	नए भवन का निर्माण— खान निदेशालय एवं भूतत्व निदेशालय में भवन निर्माण से संबंधित बजट उपबंध के संबंध में सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि इस मद में प्राप्त आवंटन को प्रत्यर्पित कर दिया जाये। आवश्यकतानुसार अन्य मद में लिया जाय। (कार्रवाई:—निदेशक, खान एवं निदेशक, भूतत्व)	प्रत्यर्पण प्रस्ताव विभाग में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।	भवन निर्माण से संबंधित बजट को शीघ्र प्रत्यर्पण करने का निदेश दिया गया। (कार्रवाई:—निदेशक, भूतत्व)
15	भू-जल सर्वेक्षण— भूतत्व निदेशालय द्वारा भू-जल से संबंधित कराये गए सर्वेक्षण क संबंध में सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि जिलावार ऐसे स्थलों को चिन्हित कर प्रस्ताव समर्पित किया जाय ताकि उन स्थलों पर जल संरक्षण योजनाओं के निर्माण हेतु संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सके। (कार्रवाई:— निदेशक, भूतत्व)	भू-जल प्रकोष्ठ, राँची को इस संबंध में निदेश दिया गया है पुनः पत्रांक—1126, दिनांक—09.08.2016 के द्वारा अद्यतन प्रगति मांगी गयी है।	संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त अपने मंतव्य के साथ विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (कार्रवाई:— निदेशक, भूतत्व)

बैठक में निम्नांकित विषयों पर सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा चर्चा की गयी एवं निदेश दिया गया :-

(B)

क्रम सं०	विषय	निदेश
1	अग्रिम/ चालान /परमिट निर्गमन के समय स्वामिस्व का भुगतान	<p>कोयला एवं अन्य खनिजों पर अग्रिम/चालान अथवा परमिट निर्गमन के समय ही ऑनलाईन स्वामिस्व के समाहरण JIMMS के माध्यम से करने हेतु सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निदेश दिया गया</p> <p>उपरोक्त से संबंधित तकनीकी मामलों पर चर्चा के दौरान सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक-01.09.2016 से कोयला पर अग्रिम/चालान अथवा परमिट निर्गमन के समय स्वामिस्व का भुगतान सुनिश्चित करने के बाद ही चालान निर्गत करने का निदेश दिया जाए।</p> <p>लघु खनिज पर अग्रिम/ चालान अथवा परमिट निर्गमन के समय स्वामिस्व का भुगतान हेतु सभी खनन पट्टाधारियों को अवगत कराने एवं अपने कार्यालयों में बुलाकर पट्टेधारियों को PIU के द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।</p> <p>(कार्रवाई:- संबंधित उप निदेशक, खान / संबंधित जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी)</p>
2	DMF/NMET-के भुगतान के उपरान्त ही चालान/परमिट की निकासी की व्यवस्था	<p>सचिव, खान, उद्योग एवं भूतत्व विभाग के द्वारा निदेश दिया गया कि सभी संबंधित खनन पट्टेधारियों के द्वारा DMF/NMET का अंशदान करने के बाद ही संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी चालान या परमिट निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>(कार्रवाई:- सभी उप निदेशक, खान सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)</p>

3	DMF/NMET-के अंशदान के संबंध में। बकाया	<ul style="list-style-type: none"> • वित्तीय वर्ष 2015-16 में वृहद खनिज पर 12.01.2015 से 31.03.2016 तक के पट्टेधारकों का लंबित बकाया अंशदान की राशि माहवार एवं खनिजवार गणना करते हुए मांग पत्र भेजने हेतु निदेशित किया गया एवं उसकी सूचना खान निदेशालय को भी उपलब्ध कराने का निदेश सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया। • विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में DMF/NMET पर देय अंशदान की बकाया राशि की शत-प्रतिशत शीघ्र वसूली का निदेश दिया गया। <p>(कार्रवाई:- सभी उप निदेशक, खान सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)</p>
4	DEIAA/DEAC हेतु Module	<p>सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित JIMMS के Project Manager को DEIAA/DEAC के अनुश्रवण हेतु Module तैयार करने का निदेश दिया गया, जिसमें जिलावार DEIAA/DEAC के बैठक की कार्यवाही को अपलोड किया जा सके एवं साथ ही साथ वैसे सभी मामलों का दिये गये पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लंबित मामलों की सूची की जानकारी प्राप्त हो सके</p> <ul style="list-style-type: none"> • जिलों में पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लंबित मामलों नही होने के स्थिति में भी DEIAA/DEAC की बैठक प्रत्येक माह में नियमित रूप से करने का निदेश दिया गया। <p>(कार्रवाई:- संबंधित उपायुक्त/जिला खनन पदाधिकारी)</p>
5	खनन पट्टेधारियों के साथ बैठक	<p>सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने कार्य क्षेत्र के अधीन खनन पट्टेधारियों के साथ मासिक/त्रैमासिक बैठक करना सुनिश्चित करें ताकि खनन पट्टेधारियों के व्यवहारिक समस्याओं के आलोक में आवश्यक नीतिगत फैसले लिए जा सके और पट्टेधारको को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए सुदूर जिलों से खान निदेशालय या विभाग में जाने की आवश्यकता न हो।</p> <p>(कार्रवाई:- सभी उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)</p>
6	न्यायालय वाद से संबंधित SOF तैयार करने के संबंध में।	<p>सभी न्यायालय वादों को संबंधित जिलों में सीधे न भेजते हुए विभाग के स्तर पर जाँच करने के उपरान्त ही आवश्यक होने पर संबंधित जिलों को भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया।</p>

7	अंकेक्षण प्रतिवेदन	अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रारूप कंडिका से संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु JIMMS में प्रावधान तैयार करने का निदेश दिया गया (कार्रवाई-प्रोजेक्ट मैनेजर, JIMMS)
8	ग्रेड निर्धारित करने के लिए संकलित खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण	<ul style="list-style-type: none"> • लौह अयस्क एवं अन्य धात्विक खनिजों का रासायनिक विश्लेषण National Metalurgical Laboratory (NML) जमशेदपुर से कराने का निदेश सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा दिया गया। • पट्टेधारकों के लौह अयस्क के नमूनों का संकलन सहायक निदेशक, भूतत्व, चाईबासा एवं उप निदेशक, कोल्हान को संयुक्त रूप से करते हुए विश्लेषण हेतु National Metalurgical Laboratory (NML) जमशेदपुर भेजने का निदेश दिया गया। (कार्रवाई:-उप निदेशक, खान, कोल्हान एवं सहायक निदेशक, भूतत्व, चाईबासा) • कोयला के लिये Random Sampling कर रासायनिक विश्लेषण करने के उपरान्त ग्रेड निर्धारित करने का निदेश दिया गया। इसके लिए ISI Standard के अनुसार नमूनों का संकलन करते हुए CIMFIR, Dhanbad/Ranchi से रासायनिक विश्लेषण कराने का निर्णय लिया गया। (कार्रवाई:-सभी संबंधित उप निदेशक, खान/सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)

Sh

9	अभ्रख खनिज -	<ul style="list-style-type: none"> ● अभ्रख खनिज उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सर्वप्रथम वन क्षेत्र से बाहर स्थित ढिबरा के Dump को चिन्हित कर उसके भण्डार का आकलन 15 दिनों के अन्दर करने का निदेश दिया गया। (कार्रवाई— भूतत्व निदेशालय)। ● ढिबरा के भण्डार के आकलन के पश्चात झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 (JSMDC) के द्वारा नीलामी की जाएगी। ● 15.11.2016 से पहले सभी ढिबरा के DUMP को नीलाम करने का निदेश दिया गया ● अभ्रख खनिज के क्षेत्रों को चिन्हित कर नीलामी योग्य ब्लॉक बनाने का निदेश दिया गया (कार्रवाई—उप निदेशक, भूतत्व, राँची अंचल राँची) ● अभ्रख खनिज के नीलामी हेतु निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम 2 या 3 ब्लॉकों को तैयार किया जाए एवं उसे झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के लिए सुरक्षित कर दी जाए (कार्रवाई— निदेशक, खान/उप निदेशक, भूतत्व, राँची अंचल)
10	विदेश यात्रा/ट्रेड फेयर/प्रदर्शनी	<ul style="list-style-type: none"> ● सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि विदेश यात्रा/ट्रेड फेयर/प्रदर्शनी सेमिनार में भाग लेकर लौटने वाले सभी पदाधिकारियों के द्वारा मासिक समीक्षात्मक बैठक में एक 15 मिनट का Power Point Presentation (PPT) देना अनिवार्य होगा।

५

11	मानव संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> ● चर्चा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न जिला/सहायक खनन कार्यालयों में मानव संसाधन की कमी है। उक्त के आलोक में संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सेवा निवृत्त योग्य कर्मियों को कार्य पर रखने के लिए संबंधित उप निदेशक के माध्यम से प्रस्ताव खान निदेशालय को भेजे। ● जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत कर्मियों की भी समीक्षा कर आवश्यकतानुसार संबंधित जिला खनन कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। (कार्रवाई— सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी /सभी उप निदेशक, खान)
----	-------------	--

(C)

अन्यान्य

- सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि खनन कार्यों या खनन प्रशासन से संबंधित समस्याओं के लिए सीधे निदेशालय से पत्राचार न करें। सर्वप्रथम संबंधित उप निदेशक, खान से परामर्श प्राप्त की जाए एवं उसके बाद ही आवश्यकता पड़ने पर उप निदेशक खान अपने मंतव्य के साथ खान निदेशालय से पत्राचार करेंगे।
- सभी खान निरीक्षकों/जिला/सहायक खनन पदाधिकारी प्रत्येक माह में जाँच किये गये खनन पट्टों का जाँच प्रतिवेदन खान निदेशालय को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी अपने मुख्यालय को छोड़ने से पूर्व संबंधित उपायुक्त को सूचित अवश्य करेंगे एवं अनुमति प्राप्त होने के बाद ही जिला मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
- सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, खान को खान निदेशालय में उप निदेशक के रूप में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया। आवश्यकतानुसार GM, DIC को खनन कार्यालय के प्रभार देने का भी निर्णय लिया गया।
- खनन पट्टों के अवधिविस्तार के मामले में निर्णय लेने के लिए खान आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

Signature

- झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पषद के पत्रांक 5720 दिनांक 17.11.2012 के आलोक में ई-चालान नहीं रोकने का निदेश दिया गया।


- JIMMS के Help Desk का नं० :-

JIMMS के PMU का फोन नं० / ई-मेल

1. 0651-2491444 (Help Desk)
 2. 8271174134
 3. 7857985358
 4. 9031050164
 5. 7416827300
 6. 9507172192
- jimmspmu@gmail.com

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विभागीय मासिक बैठक का पांचांग विशेष सचिव द्वारा तैयार करने का निदेश दिया गया। पांचांग तैयार करने के पश्चात् बैठक हेतु निर्धारित तिथियों की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को देने की आवश्यकता नहीं होगी।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(रोबिन टोप्पो)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1711

/राँची दिनांक 15.09.16

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव/खान आयुक्त/निदेशक, उद्योग/निदेशक, ह० रे०ह०/निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक/सचिव/रियाड, बियाडा/एसपीयाडा/आयडा/सभी अपर निदेशक, उद्योग/खान/भूतत्व/सभी जिला सहायक खनन पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, झारखण्ड/सभी अग्र परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, ह०रे०ह०/भूतत्व/प्रभारी पदाधिकारी, JIMMS/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, खान के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी भूतत्वेता/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/9/16
(रोबिन टोप्पो)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग


खान निदेशालय

ज्ञापांक-ख०नि०(बैठक)-04/2013

2442

/एम०, राँची, दिनांक-16-09-16

प्रतिलिपि:- अपर निदेशक खान, राँची/ सभी उप निदेशक, खान/ सभी अवर सचिव, खान निदेशालय /सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/9/16
निदेशक खान।